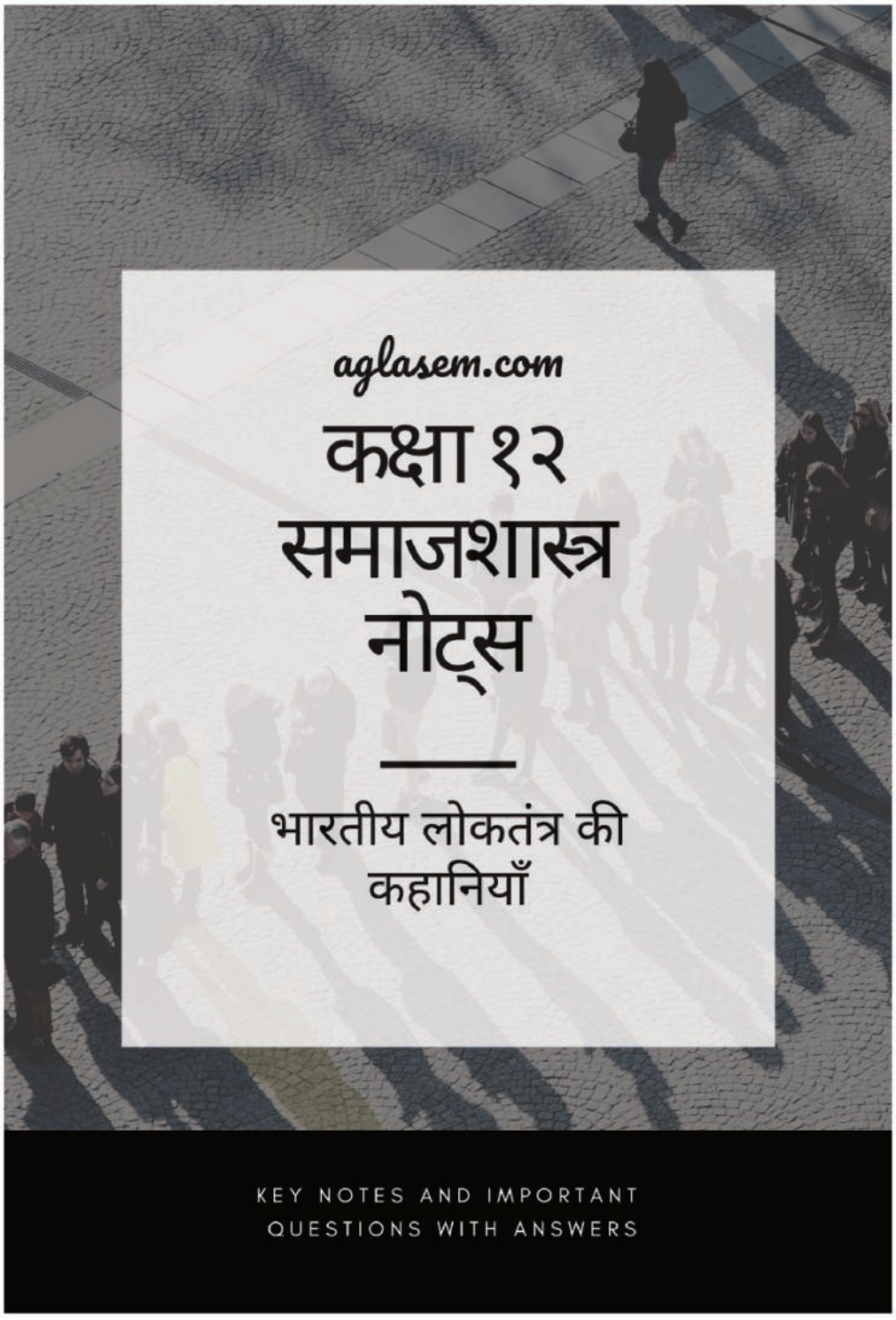

aglasem.com
कक्षा १२
समाजशास्त्र
नोट्स
भारतीय लोकतंत्र की
कहानियाँ
KEY NOTES AND IMPORTANT
QUESTIONS WITH ANSWERS

पाठ 3

भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ

मुख्य बिन्दु

1. **लोकतंत्र**- जनता की, जनता के द्वारा जनता के लिए एक सरकार है इसके दो प्रकार है।

- **प्रत्यक्ष लोकतंत्रः**- इसमें सभी नागरिक, बिना किसी चयनित या मनोनीत पदाधिकारी की मध्यस्था के सार्वजनिक निर्णयों में स्वयं भाग लेते हैं। उदाहरणार्थ- एक सामुदायिक संगठन या आदिवासी परिषद्, किसी श्रमिक संघ की स्थानीय इकाई। प्रत्येक लोकतंत्र छोटे समूह में व्यवसायिक है जहाँ पूरी जनता निर्णय में सम्मिलित होती है तथा बीच में कोई प्रतिनिधी न हो। जैसे- आदिवासी परिषद्; श्रमिक संघ आदि।

- **अप्रत्यक्ष/परोक्ष/प्रतिनिधिक लोकतंत्रः**- प्रतिनिधि लोकतंत्र विशाल व जटिल समुदाय में अपनाया जाता है। सार्वजनिक हित की दृष्टि से राजनीतिक निर्णय लेना, कानून बनाना व लागू करना आदि के लिए नागरिक स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनते है। हमारे देश में प्रतिनिधिक लोकतंत्र है।

- **सहभागी लोकतंत्र**- यह ऐसा लोकतंत्र है जिसमें किसी समूह व समुदाय के सभी लोक एक साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय लेते हैं।

- **विकेंद्रीकृत लोकतंत्र**- जमीनी लोकतंत्र के एक उदाहरण के रूप में पंचायती राज व्यवस्था जो एक विकेंद्रीकरण की तरफ एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

2. **भारतीय संविधान के केंद्रीय मूल्यः**-

- संपूर्ण-प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता आदि।

- लोकतांत्रिक मूल्य केवल परिश्चमी की देन नही है बल्कि महाकाव्य, कृतियाँ व विविध लोक कथाएँ संवादों परिचर्चाओं ओर अंतर्विरोधी स्थितियों से भरी पड़ी है। जैसे-महाभारत महाकाव्य।

- कराची कांग्रेस संकल्प 1931 उन मूल्यों का उल्लेख करता है जो राजनीतिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

3. **हित प्रतिस्पर्धी संविधान और सामाजिक परिवर्तन :**

- हितों की प्रस्पिर्धा हमेशा किसी स्पष्ट वर्ग-विभाजन के ही प्रतिबिंबित नहीं करती। किसी कारखाने को बंद करवाने का कारण यह होता है कि उससे निकलने वाला विषैला कचरा आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार बहुत सी चीजों की समाप्ति के कारण लोग बेराजगार हो जाएगें।

- कानून-कानून का सार इसकी शक्ति है कानून इसलिए कानून है क्योंकि इससे बल प्रयोग अथवा अनुपालन के संरचण, के माध्यमों का प्रयोग होता है।

- न्याय- न्याय कासार निष्पक्षता है, कानून में कोई भी प्रणाली अधिकारियों के संस्तरण के माध्यम से ही कार्यरत होती है।

- संविधान- संविधान भारत का मूल मानदंड है। यह ऐसा दस्तावेज है जिससे किसी राष्ट्र के सिद्धान्तों का निर्माण होता है। ऐस प्रमुख मानदंड जिनसे नियम ओर अधिकारी संचालित होते है संविधान कहलाता हे। अन्य सभी कानून, संविधान द्वारा नियत कार्य प्रणाली के अंतर्गत बनते है। ये कानून संविधान द्वारा अधिकारियों द्वारा बनाए व लागू किए जोते है। कोई वाद-विवाद होने पर संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालयों के संस्तरण द्वारा कानून की व्याख्या होती है। 'उच्चतम न्यायालय' सर्वोच्च है और वहीं संविधाान का सबसे अंतिम व्याख्याकर्ता भी है।

4. **पंचायती राजः-**

- पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद होता है 'पाँच व्यक्तियों द्वारा शासन'। इसका अर्थ गाँव एवं अन्य जमीनी पर लचीले लोकतंत्र क्रियाशीलता है।

 (क) डा. अम्बेडकर ने तर्क दिया कि स्थानीय कुलीन ओर उच्च जातीय लोग सुरक्षित परिधि से इस प्रकार घिरे हुए है कि स्थानीय स्वाशासन का मतलब होगा भारतीय समाज के पद्दलित लोगों का निरंतर शोषण। निसंदेह उच्च जातियाँ जनसंख्या के इस भाग को चुपकर देगी।

 (ख) **महात्मा गाँधी :** स्थानीय सरकार की अवधारणा गाँधी जी को भी लोकप्रिय थी। वे प्रत्येक ग्राम को स्वयं में आत्मनिर्भर और पर्याप्त इकाई मानते थे स्वयं अपने को निर्देशित करे। ग्राम स्वराज्य को वे आदर्श मानते थे। और चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भी गाँवों में यही शासन चलता रहे।

- 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992:-
 - ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्रों के स्थाई निकायों के सभी चयनित पदों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया।
 - इनमें से 17 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है।
 - यह संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार निर्वाचित निकायों में महिलाओं को शामिल किया। जिससे उन्हें निर्णय लेने की शक्ति मिली।
 - 73वें संशोधन के तुंरत बाद 1993-1994 के चुनाव में 800,000 महिलाएं एक साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ी वास्तव में महिलाओं को मानवाधिकार देने वाला यह एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान करने वाला संवैधानिक संशोधन पूरे देश में 1992-93 से लागू है।
 - पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय व्यवस्था

 जिला स्तर पर जिला परिषद् → खण्ड स्तर पर पंचायत समिति → ग्राम स्तर पर ग्रम पंचायत
- **पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्वः**

 पंचायतों को निम्नलिखित शक्तियाँ व उत्तरदायित्व प्राप्त हैं:-
 - आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ एवं कार्यक्रम बनाना
 - सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना
 - शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना व एकत्र करना।
 - सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना।
 - जन्म और मृत्यु के आंकडे रखना।
 - शमशानों एवं कब्रिस्तानों का रखरखाव।
 - पशुओं के तालाब पर नियंत्रण।
 - परिवार नियोजन का प्रचार करना।

- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना आदि को संचालित करना।

- **पंचायत की आय के मुख्य स्त्रोत:**
 - संपत्ति, व्यवसाय, पशु, वाहन आदि पर लगाए गए कर, चुंगी, भू-राजस्व आदि पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत है। जिला पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान पंचायत के संसाधनों में वृद्धि करते हैं पंचायतों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कार्यलय के बाहर बोर्ड लगाएं। जिसमें प्राप्त वित्तीय सहायता के उपयोग से संबंधित आँकड़े लिखे हों।

- **न्याय पंचायत:**
 - कुछ राज्यों में न्याय पंचायत की स्थापना की गई है। कुछ छोटे-मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार इनके पास होता है। ये जुर्माना लगा तो सकते हैं। लेकिन कोई सजा नहीं दे सकते। ये ग्रामीण न्यायालय प्राय: कुछ पक्षों के आपसी विवादों में समझौता कराने में सफल होते हैं। विशेष रूप से ये तब प्रभावशाली होते है, जब किसी पुरूष द्वारा दहेज के लिए स्त्री प्रताड़ित किया जाए या उसके विरूद्ध हिंसात्मक कार्यवाही की जाए।

- **जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज:**
 - आदिवासी क्षेत्रों की प्रारंभिक स्तर के लोकतांत्रिक कार्यो को अपनी समृद्ध परंपरा रही है।
 - जैसे-मेघालय की आदिवासी जातियों की सैकड़ो साल पुरानी राजनीतिक संस्थाएँ रही है।
 - ये राजनीतिक संस्थाएँ उतनी सुविकसित थी कि ग्राम, वंश और राज्य के स्तर पर कुशलता से कार्य करती थी। जैसे खासियों की पारंपरिक अपनी परिषद होती थी जिसे दरबार कुर कहा जाता था।

- **वन पंचायत:**
 - अधिकांश कार्य महिलाएँ करती है। वन पंचायत की औरते पौधशालाएँ बनाकर छोटे पौधों का पालन-पोषण करती है।
 - वन पंचायत के सदस्य आसपास के जंगलों की अवैध कटाई से सुरक्षा भी करती है।

5. **राजनीतिक दलः**

 - राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है। जो सत्ता हथियाने और सत्ता का उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों को सम्पन्न करने के उद्देश्य से स्थापित करता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में विभिन्न समूहों के हित राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। जो उनके मुद्दों को उठाते हैं।

6. **हित समूह**

 - यह ऐसे समूह हैं जो सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते है। हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। ये प्राथमिक रूप से वैधानिक अंगों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने के लिए बनाए जाते है।

7. दबाव समूहः- जब किसी समूह को लगता है कि उसके हित की बात नहीं की जा रही है तो वे अलग दल बना लेते है जिसे दबाव समूह कहते हैं।

2 अंक प्रश्न

1. प्रतिनिधिक (परोक्ष) लोकतंत्र क्या होता है?
2. प्रत्यक्ष व परोक्ष लोकतंत्र में अंतर बताईये। *[Outside Delhi-2018]*
3. ब्रिटिश उपनिवेश वाद तथा पश्चिम के लोकतंत्र में क्या अन्तर है?
4. पंचायती राज क्या होता है?
5. संविधान के 73वें संविधान संशोधन की क्या उपयोगिता थी?
6. पंचायत के आय के स्त्रोत लिखिए।
7. न्याय पंचायतें क्या होती है?
8. न्याय पंचायतें क्या होती है?
9. लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है?
10. दबाव समूह किसे कहा जाता है?

4 अंक प्रश्न

1. कानून व न्याय में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
2. डॉ. अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी द्वारा संविधान में पंचायती राज शामिल करने के विषय का वर्णन करें।
3. 73वें व 74वें संविधान संशोधन ने किस प्रकार ग्रामीण लोगों की आवाज को उठाने का कार्य किया है?
4. पंचायतों की शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों का विस्तार से वर्णन करें?
5. वन पंचायतों की क्या महत्ता है बताइए।
6. जनजातीय क्षेत्रों में पारम्परिक राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार कार्य करती रही है, समझाइये।

6 अंक प्रश्न

1. भारतीय संविधान में विभिन्न केन्द्रीय मूल्य अपनाए गए है? उनका वर्णन करें।
2. भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था शामिल करने का क्या महत्त्व है? इनकी शक्तियों व उत्तरदायित्वों का वर्णन करें।